2-8-22	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। आदेश सुनाया गया विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली कैफियत सुधार होकर संलग्न मूल वाद रहे।
	उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बूंदी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

34 / प्रा.प / 2022
दायरा दिनांक 09.06.2022

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. राजेन्द्र पुत्र गोपाल जाति मीणा निवासी देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज.।

प्रार्थी

बनाम

1 गोपाल आ0 मोडू जाति मीणा निवासी देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2 हरिश आ0 गोपाल जाति मीणा निवासी देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3 मीनाक्षी पुत्री गोपाल जाति मीणा निवासी देईखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4 राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार महोदय, इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

– अप्रार्थीगण

वाद अर्न्तगत धारा 88,53,188 आर0टी0एक्ट

उपस्थित :– 1.श्री महेन्द्र रेबारी एडवोकेट(वादी)।
2.श्री अब्दुल सत्तार एडवोकेट() ।
3. श्री घनश्याम सैनी एडवोकेट

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

—: निर्णय :— दिनांकः :—02.08.2022

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत का सार सक्षेंप इस प्रकार से है कि ग्राम चकमालिकपुरा स्थित खसरा संख्या 10 रकबा 2.60 हैक्ट0 वर्तमान राजस्व रिर्कोड में गोपाल पुत्र मोडू उर्फ मोडा बतौर खातेदार दर्ज है।यह भूमि पूर्व में अप्रार्थी सं0 1 श्री गोपाल के पिता मोडू वल्द बिशना के खाते में दर्ज थी इस प्रकार यह भूमि पुश्तैनी है इस पुश्तैनी भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा निहित है अप्रार्थी संख्या 1 ने यह भूमि उसे काफी समय पूर्व ही काश्त हेतू दी थी इसलिए वह (प्रार्थी)इस पर काश्त करता आ रहा है।वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 इस विवादित पुश्तैनी भूमि का बिना बंटवारा करवाये बेचान करने को आमादा है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो विवादित भूमि का बेचान,हस्तांतरण ,रहन आदि न करे तथा प्रार्थी के शातिंपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का दखल न तो स्वंय देवे ना किसी ओर से करवाये एवं अप्रार्थी संख्या 4 को पाबन्द फरमाये कि बिना विधिवत बंटवारें के किसी प्रकार का पजींयन अन्तरण किसी भी व्यक्ति के नाम नही करे।

प्रकरण दर्ज कर तलवी नोटिस जारी किये जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 ने जवाब पेश किया जिसके अनुसार प्रार्थना—पत्र में अकिंत विवादित भूमि प्रार्थी संख्या 1 गोपाल की स्वंय की सम्पति है पुश्तैनी सम्पति नही है।प्रार्थी का इस विवादित भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा अपितु कब्जा अप्रार्थी संख्या 1 का है।विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के जीवनकाल में प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2, 3 का कोई हक हिस्सा नही बनता।अप्रार्थी संख्या 1 रिकोडेड खातेदार होने से भूमि को रहन,बय,दान करने के लिए स्वतंत्र है।साथ ही विशेष आपत्ति की जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 की मृत्यु सन् 1949 में हो चुकी थी तब प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2,3 का जन्म भी नही हुआ था।इस कारण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 2, 3 सहदायगी नही है।अप्रार्थी संख्या 1 ने परिवार का कर्ता होने के नाते इस कृषि भूमि को रहन पर रखकर 20 लाख का ऋण प्राप्त किया था जिसको भी अप्रार्थी 1 द्वारा किसी अन्य से उधार लेकर जमा करवाया गया है प्रार्थी ने इस ऋण को चुकाने में कोई मदद नही की है,अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से उसको अपूर्णीनीम क्षति होतो इसलिए

उपखण्ड अधिकारी

–पत्र खारिज फरमाया जावे।अधिवक्ता उभयपक्ष ने बहस की प्रार्थी
वक्ता अनुसार गत व वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि पुश्तैनी होना
साबित है कि वर्तमान खसरा संख्या 10 गत खसरा संख्या 7 से बने है व गत
खसरा संख्या 9/1 से बने है।जमाबन्दी संवत् 2010 में साबिक खसरा संख्या
9/1 मोड्या वल्द बिशना मीना अकिंत है एवं जमाबन्दी सवंत 2041–2044 में
ख0सं0 7 सूरजमल गोपाल पिता मोडूलाल जाति मीणा अकिंत है।अधिवक्ता ने
हिन्दू लॉ पेश किया और पैतृक सम्पति की परिभाषा पढकर सुनायी जिसके
अनुसार All property inherited by male hindu from his father ,father's father or
bathor's bathor is ancestral property.The essential bealire of encastial
property according to metakshara law is that th sons,grandsons and great
grendsons of the person who inherils it axquire an interest in it by birth इस
प्रकार से यह coparconry property.पैतृक/coparcenary property के लिए
यह आवश्यक नही है कि जब दादा से उसके पिता को विरासत में सम्पति मिल
रही हो तब उसका जन्म हुआ हो या उसके बाद में हुआ हॉ यह है कि विरासत
में प्राप्त सम्पति बच्चे/पौते के पैदा होने से पहले तक पिता का एकल अधिकार
या परन्तु बाद में बच्चे/पौते पैदा होने पर उनका जन्म से (गर्भकाल से ही
अधिकार/सम्पंति में हित विधिवत हो जाता है।अधिवक्ता प्रार्थी ने न्यायिक
दृष्टांत RRT 2021 (2) पृष्ठ 855 नाथूलाल बनाम राजस्थान राज्य, RRD 1981
देवीलाल बनाम फत्तु बाई पैतृक सम्पति विभाजन का अधिकार पुत्र को पिता के
जीवित रहते होने की पुष्टि हेतू RBJ (17) 2010 पृ0 178 पृ 512 शंकरलाल
बनाम दलीप कुमार RRD 2002 पृ 744 शंकरलाल बनाम कैलाश,मेहरचन्द बनाम
ओमप्रकाश इस बात कि पुष्टि हेतू की पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद होने पर रिर्कोड
खातेदार को खातेदारी भूमि के बेचान/रहन आदि से रोका जा सकता है AIR
2013 SC 3525 रोहित चौहान बनाम सुरिन्दर सिंह Copercenary property के
सबंध में पेश किया अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनो का खण्डन
करते हुए कथन किया कि मूल खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द
करवाया नही जा सकता।प्रार्थना–पत्र में खसरा संख्या का उल्लेख नही है।मात्र
पैतृक का उल्लेख है इसलिए 06 R2 CPC अनुसार इनको पढा नही जावे।वर्ष
1949 में मोडा की मृत्यु हुई थी उस समय राजेन्द्रपैदा नही हुआ तो इस कारण
राजेन्द्र (प्रार्थी) को कोई अधिकार विवादित सम्पति के विषय में प्राप्त नही हुए
एवं अपने तर्को की पुष्टि हेतू न्यायिक दृष्टांत 2013(2) DNJ Raj पृ0 626 सीमा
बनाम रामेश्वर लाल पेश किया कि coparcener को प्रबंधक (HUF) के अधिकार में

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास (कृषि)

... करने का हक नही है। 2016 DNJ SC Page 258 उत्तम बनाम सौभाग सिंह 2009 (1) RRT Page 162 HC अब्दुल वासी बनाम अब्दुल कादीर व अन्य 2003 RRD Page 540 (महेन्द्र सिंह बनाम गीता देवी) रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा नही दी जा सकती। RLW 200(L1) SC Page 84 (ए वैंकरा भाई नायडू/चालायन) अतंरीम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के तीन दिवस में अतिंम आवेश पारित करने सबंध में ।

बहस उभयपक्ष पर मनन चिंत करने व दस्तावेजात अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम चकमालिकपुरा स्थित भूमि खसरा संख्या 10 के सबंध में प्रार्थी उद्घोषणा व विभाजन का वाद विचाराधीन है जिसमें यह प्रार्थी के अधिकार के सबंध में निर्णय होना है मूल वाद अर्थात भूमि विवादित है एंव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत पारिवारिक विवाद में रिर्कोडेड खातेदार के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना स्थापित करते है इसलिए वाद की बहुलता नही एवं पारिवारिक से मौके पर किसी प्रकार विवाद नही हो सकी मध्यनजर रखते हुए उभयपक्ष को रिर्कोड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखने हेतू उभयपक्ष को रिर्कोड व मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही हो इसको मध्यनजर रखते हुए उभयपक्ष को रिर्कोड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतू पाबन्द किया जाता है एवं अप्रार्थी संख्या 5 को इस प्रकार के अंतरण के आधार पर रिर्कोड पर परिवर्तन नही करे।पत्रावली फैसल शुमार होकर सलंग्न मूलवाद रहे।

निर्णय आज दिनांक 02.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)